रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1977/कार्तिक 16, 1899

No. 475] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1977/KARTIKA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th November 1977

S.O. 755(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Act, 1976 (97 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(i) These rules may be called the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Act, 1976 (97 of 1976),

(b) "section" means a section of the Act.

3. **Time-limit for intimation**.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or a Government Company, and every person holding any charge, lien or other interest in or in relation to any such property shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 17:

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter

4. **Manner of Intimation.**—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing, addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely —

(a) Name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder,

(b) name of the undertaking in respect of which the claim is made,

(c) amount of claim (in Indian currency),

(d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument;

(e) amount, if any already received, with particulars,

(f) any other particulars relevant to the claim,

(g) relief claimed

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or a person duly authorised by him.

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at Calcutta on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post, with acknowledgement due

[No F 7(88)/77/HM-III]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1977

का० आ० 755(अ).—केन्द्रीय सरकार, बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 97) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् .—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 97) अभिप्रेत है ,

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3 **सूचना के लिए समय-सीमा** —किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में इस अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उस के संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि बंधकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति पर्याप्त कारणों से उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित हो गया था तो आयुक्त तीस दिन की और अवधि के भीतर, और उसके पश्चात् नहीं, सूचना ले सकेगा ।

4 **सूचना की रीति** —(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली हर सूचना, लेखबद्ध रूप में, आयुक्त के नाम से होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् —

(क) बंधकदार भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारक का नाम, वर्णन और पूरा पता

(ख) उस उपक्रम का नाम, जिसकी बाबत दावा किया गया है ,

(ग) दावे की रकम (भारतीय करेंसी में) ,

(घ) ऐसी लिखत यदि कोई हो, की विशिष्टियां, जिस से बंधक, भार धारणाधिकार या अन्य हित को प्रतिभूति किया गया हो ,
जिसका समर्थन लिखित की प्रमाणित प्रति से किया जाएगा ,

(ङ) रकम, यदि कोई पहले की प्राप्त की गई हो, और उसकी विशिष्टियां ,

(च) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां

(छ) अनुतोष जिसका दावा किया गया हो ।

(2) हर सूचना बंधकदार या भार धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा या उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ।

(3) सूचना आयुक्त के कलकत्ता स्थित कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जाएगी या आयुक्त को रजीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

[सं० फा० 7(88) 77 एव एम-III]

S O. 756(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1976 (96 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1 **Short title and commencement**—(i) These rules may be called the Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1977

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1976 (96 of 1976),

(b) "section" means a section of the Act.

3 **Time-limit for intimation** — Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or a Government Company, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 17:

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from

giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter

4 **Manner of intimation.**—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing, addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely —

(a) Name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder,

(b) name of the undertaking in respect of which the claim is made

(c) amount of claim (in Indian currency),

(d) particulars of the instrument, if any by which the mortgage charge, lien or other interest is secured supported by an attested copy of the instrument,

(e) amount, if any already received, with particulars,

(f) any other particulars relevant to the claim,

(g) relief claimed

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge lien or other interest or a person duly authorised by him

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at Calcutta on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post, with acknowledgement due

[No F 7(88)/77/HM III]

NARESH CHANDRA Jt Secy

का० आ० 756(अ) —केन्द्रीय सरकार ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमो का अधिग्रहण तथा स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 96) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमो का अधिग्रहण तथा स्थानान्तरण) नियम 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **परिभाषाए** —इन नियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमो का अधिग्रहण तथा स्थानान्तरण) अधिनियम 1976 (1976 का 96) अभिप्रेत है।

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3 **सूचना के लिए समय-सीमा** —किसी ऐसी सम्पत्ति का जो केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में इस अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सबंध में कोई भार, धारणाधिकार, या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे बंधक भार धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि बंधकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति पर्याप्त कारणों से, उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित हो गया था तो आयुक्त तीस दिन की और अवधि के भीतर, और उसके पश्चात् नहीं, सूचना ले सकेगा।

4. **सूचना की रीति.**—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली हर सूचना, लेखबद्ध रूप में, आयुक्त के नाम से होगी और उससे निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) बंधकदार भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारक का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ख) उस उपक्रम का नाम, जिसकी बाबत दावा किया गया है ;

(ग) दावे की रकम (भारतीय करेंसी में) ;

(घ) ऐसी लिखित, यदि कोई हो, की विशिष्टियां, जिस से बंधक, भार धारणाधिकार या अन्य हित को प्रतिभूत किया गया हो ;
जिसका समर्थन लिखत की प्रमाणित प्रति से किया जाएगा ;

(ङ) रकम, यदि कोई पहले ही प्राप्त की गई हो, और उसकी विशिष्टियां ,

(च) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां ;

(छ) अनुतोष जिसका दावा किया गया हो ।

(2) हर सूचना बंधकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ।

(3) सूचना आयुक्त के कलकत्ता स्थित कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जाएगी या आयुक्त को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

[सं० फा० 7(88)/77/एचएम-III]

नरेश चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977